[2021] 10 एस. सी. आर. 253

भारत और अन्य का संघ

बनाम

एन मुरुगेसन ईटीसी।

सिविल अपील सं। 2491-2492 2021 का)

07 अक्टूबर, 2021

[संजय किशन कौल और एम. एम. सुंदरेश, जे. जे.]

सेवा कानून सीपीआरआई (वेतन, भर्ती और पदोन्नति) नियम,

1989 (कार्य नियम संख्या 1)-प्रत्यक्ष भर्ती-कार्यकाल नियुक्ति

– गैर-विस्तार-उत्तरदाता सं। 1 अपीलार्थी-केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान (सी. पी. आर. आई.) का एक पूर्व कर्मचारी था-पांच साल के प्रारंभिक कार्यकाल के लिए या अगले आदेश तक प्रत्यक्ष भर्ती के माध्यम से उसके महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, सेवानिवृत्ति की तारीख तक आगे के कार्यकाल के लिए फिर से नियुक्ति के लिए पात्र था-कार्यकाल के अंत तक सेवा का विस्तार मांगा-बढ़ाया नहीं गया

नई भर्ती, निजी उत्तरदाता को नए के रूप में चुना गया था

महानिदेशक-प्रत्यर्थी द्वारा दायर लिखित याचिकाओं में अन्य बातों के साथ-साथ उनके राहत आदेश पर सवाल उठाया गया है और निजी प्रत्यर्थी की भर्ती को चुनौती दी गई है-जिसे एकल न्यायाधीश द्वारा देरी और अड़चनों के आधार पर खारिज कर दिया गया है-खंड पीठ द्वारा अनुमत अपीलें आयोजित की गईं:

नियुक्ति आदेश बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि विस्तार उपयुक्तता के अधीन है, और पुनः नियुक्ति के लिए ऐसी उपयुक्तता पर विचार किए जाने के बाद, इस न्यायालय से अपने विचार को प्रतिस्थापित करने की उम्मीद नहीं की जाती है-नियोक्ता के पास विवेक था और किसी भी मनमानेपन के अभाव में, कोई भी उसके विवेक पर सवाल नहीं उठा सकता है-नियम कार्यकाल नियुक्ति को प्रतिबंधित नहीं करते हैं-कार्यकाल के आधार पर पद दाखिल करने के लिए सीधी भर्ती भी की जा सकती है।

विलंब, विलंब और स्वीकृति को नियंत्रित करने, अनुमोदन और खंडन के बाद, प्रतिवादी को कोई राहत नहीं दी जानी चाहिए थी-भारत के संविधान को दरकिनार करते हुए विवादित आदेश - अनुच्छेद 226 अनुबंध अधिनियम, 1872 एस. एस. 3 , 7 , 8 , 39- अधिग्रहण

-

विलम्ब/विलंब-अनुमोदन और प्रत्याख्यान-चुनाव का सिद्धांत

निष्पक्षता का सिद्धांत-कर्नाटक सोसायटी अधिनियम, 1960।

विलम्ब/विलंब और अधिग्रहण-शासन करने वाले सिद्धांत

-

चर्चा की।

10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सिद्धांत/सिद्धांत-निष्पक्षता का सिद्धांत-नियोक्ता और कर्मचारी संबंध-आयोजित की प्रयोज्यता: एक नियोक्ता में और कर्मचारी संबंध, निष्पक्षता के सिद्धांत को अधिक जोश के साथ लागू किया जाना चाहिए जब इसमें राज्य का एक साधन शामिल हो।

भारत का संविधान अनुच्छेद 226 राहत की प्रकृति -

असाधारण और विवेकाधीन-चर्चा की गई।

सेवा कानून-प्रत्यक्ष भर्ती-की परिभाषा-आयोजित: प्रत्यक्ष भर्ती का अर्थ होगा एक निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से भर्ती।

नियमों के तहत-इसलिए, यह व्याख्या नहीं की जा सकती है कि सभी सीधी भर्तियां नियमित रोजगार डायरेक्ट द्वारा की जानी हैं।

कार्यकाल के आधार पर पद भरने के लिए भी भर्ती की जा सकती है।

शब्द और वाक्यांश 'लाचेस'; 'स्वीकृति'; 'अनुमोदन और खंडन'-का अर्थ-चर्चा की गई।

अपीलार्थियों द्वारा दायर अपीलों को स्वीकार करते हुए और प्रत्यर्थी की अपीलों को खारिज करते हुए, न्यायालय

पकड़ना: 1. भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872:

अधिनियम की धारा 3 स्वयं को प्रस्ताव के संचार, स्वीकृति और निरसन के कार्य से संबंधित है। जब कोई प्रस्ताव दिया जाता है, तो निष्कर्षित अनुबंध के चरित्र को स्वीकार करने के लिए प्राप्तकर्ता द्वारा इसे स्वीकार करने की आवश्यकता होती है। इसलिए, प्रस्ताव की शर्तों का ज्ञान स्वीकृति के

लिए एक प्राथमिक और आवश्यक कारक है। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए, जब कोई स्वीकृति अयोग्य तरीके से की जाती है, तो यह प्रस्ताव की शर्तों के ज्ञान के साथ उक्त स्वीकृति को अपने व्यापक रूप में लेता है। यही कारण है कि एक अस्वीकार्य प्रस्ताव उत्पन्न होता है।

न कोई अधिकार और न ही कोई बाध्यता। अधिनियम की धारा 7 के तहत मौजूद ऐसी स्वीकृति पूर्ण और अयोग्य दोनों होनी चाहिए। धारा 8 के अनुसार, किसी प्रस्ताव की शर्तों का निष्पादन या प्रस्ताव के साथ दिए जाने वाले पारस्परिक वादे के लिए किसी भी विचार की स्वीकृति प्रस्ताव की स्वीकृति है। इसलिए, एक पूर्ण और अयोग्य स्वीकृति प्रस्ताव की शर्तों के साथ अनुबंध को जन्म देगी। धारा 39 पक्ष द्वारा किसी वादे को पूरी तरह से पूरा करने से इनकार करने के प्रभाव से संबंधित है। हालांकि अदालत का इससे कोई लेना-देना नहीं है

प्रावधान, यह एकमात्र प्रावधान है जो भारत और अन्य संघ की अवधारणा की बात करता है।

एन मुरुगेसन ईटीसी।

स्वीकृति का एक तत्व मौजूद है जिसे उसके शब्दों या आचरण के माध्यम से देखा और प्रदर्शित किया जा सकता है। जाहिर है, ऐसा अनुबंध जिसमें शब्द या आचरण भी शामिल होगा, देखा जाना चाहिए। प्रत्येक मामले के तथ्यों पर। [पैरा 18,19] [264-एफ-एच; 265-ए-बी]

2.1 देरी, कमी और शांति:

विलम्ब, विलंब और स्वीकृति को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत कई अवसरों पर परस्पर व्याप्त और परस्पर जुड़े हुए हैं। हालाँकि, उनके पास अपने विशिष्ट चरित्र और विशिष्ट तत्व हैं। यह कहा जा सकता है कि विलम्ब वह वंश है जिसके लिए लैच और स्वीकृति प्रजातियाँ हैं। इसी तरह, लैच को एक प्रजाति के लिए एक जीनस कहा जा सकता है। हालांकि, एक ऐसा मामला हो सकता है जिसमें सहमति शामिल हो, लेकिन बाधाएं नहीं। ये सिद्धांत सामान्य कानून के सिद्धांत हैं, और शायद कोई यह पहचान सकता है कि ये सिद्धांत विभिन्न कानूनों में जगह पाते हैं जो सीमा की अवधि को प्रतिबंधित करते हैं और कुछ परिस्थितियों में माफी पर विचार नहीं करते हैं। वे इसके माध्यम से लागू होने के लिए बाध्य हैं कानून के सख्त अनुप्रयोग की तुलना में न्यायालय के विवेक की आवश्यकता होती है। इन अवधारणाओं को नियंत्रित करने वाला अंतर्निहित सिद्धांत अवरोधों में से एक होगा। पूर्वाग्रह का प्रश्न भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर न्यायालय द्वारा ध्यान दिया जाना चाहिए। [पैरा 20] [265-सी-ई]

2.2 खामियां:

लाचेस शब्द फ्रांसीसी भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है "शिथिलता और शिथिलता"। इस प्रकार यह शामिल है

विलंब की अवधि और अंतराल के दौरान किए गए कार्यों की प्रकृति देखी गई है। इसमें पक्ष की ओर से सहमति भी शामिल होगी मध्यावधि में स्थिति में परिवर्तन के अलावा न्यायालय का दरवाजा

खटखटाने वाला पक्ष। इसलिए, कोर्ट ऑफ इक्विटी के लिए यह अनुचित होगा कि वह एक ऐसे पक्ष को उपाय प्रदान करे जो उसके दरवाजे [2021] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जब उसके कार्य ऐसे अधिकार की छूट का संकेत देंगे। उनके द्वारा आचरण में , उसने दूसरे पक्ष को एक विशेष स्थिति में रखा है, और इसलिए, न्यायालय के समक्ष चुनौती देना अनुचित होगा। इस प्रकार, समता पर अपने आचरण के लिए जिम्मेदार व्यक्ति से किसी उपाय का लाभ उठाने की अनुमति की उम्मीद नहीं की जाती है। लैच के बचाव की अनुमति केवल तभी दी जा सकती है जब कोई वैधानिक प्रतिबंध न हो। यह सवाल कि क्या उपचार की मांग करने वाले व्यक्ति की ओर से बाधाओं का एक स्पष्ट मामला मौजूद है, एक तथ्य है और साथ ही पूर्वाग्रह का भी।

उक्त सिद्धांत का कोई अनुप्रयोग नहीं हो सकता है जब

धोखाधड़ी के अस्तित्व का अनुरोध किया जाता है और दूसरे पक्ष द्वारा साबित किया जाता है। लैच और स्वीकृति की अवधारणा के बीच अंतर निर्धारित करने के लिए यह है कि, केवल लैच से जुड़े मामले में, विरोध का सिद्धांत उन सभी बचावों पर लागू होगा जो एक पक्ष के लिए उपलब्ध हैं। इसलिए, एक प्रतिवादी वादी द्वारा उठाए गए विभिन्न आधारों पर सफल हो सकता है, जबकि अकेले संबंधित मुद्दा सहमति के लिए उत्तरदायी होगा। [पारस 21-23] [265-F-H; 266-A-C]

2.3 गतिविधि:

एक कार्रवाई एक निष्क्रिय सहमति के योग्य होगी। इस प्रकार, जब स्वीकृति होती है, तो यह किसी विशेष कार्य के खिलाफ ज्ञान का अनुमान लगाता है। ज्ञान से निष्क्रिय स्वीकृति आती है, इसलिए मूल अनुबंध को पूरा करने के लिए किसी भी कथित इनकार के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के बजाय, इसकी शर्तों के बारे में पर्याप्त जानकारी होने के बावजूद, और इसके बजाय सचेत रूप से इसे अनदेखा करके और उसके बाद आगे बढ़ने की अनुमति दी जाती है। परिणामस्वरूप, यह पक्षों के बीच एक नए निहित समझौते को फिर से प्रस्तुत करता है। एक बार ऐसी स्थिति उत्पन्न होने के बाद, यह इसके लिए खुला नहीं है पार्टी जो मूल शर्तों के अनुपालन पर जोर देने के लिए खुद को स्वीकार करती है। इसलिए, जो आवश्यक है, वह है आचरण

पार्टियाँ। जब स्वीकृति के बाद देरी होती है, तो यह बाधा बन सकती है। सहमति की अवधारणा को मामले-दर-मामले के आधार पर देखा जाना चाहिए। [पारस 24,25] [266-डी-जी]

2.4 प्रस्तावित और प्रस्तावित करना:

ये वाक्यांश स्कॉट के नियम से लिए गए हैं। उनका मतलब केवल यह होगा कि किसी भी पक्ष को भारत और अन्य संघ को स्वीकार और अस्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

एन मुरुगेसन ईटीसी।

एक ही बात है, और इस प्रकार कोई गर्म और ठंडा नहीं उड़ा सकता है। चुनाव के सिद्धांत के पीछे का सिद्धांत अवधारणा में अंतर्निहित है। अनुमोदन और प्रत्याख्यान का। एक बार फिर, यह समानता का एक सिद्धांत है जो सामान्य कानून की रूपरेखा के तहत आता है। इसलिए, जो यह जानता है कि यदि वह किसी वाद्य पर आपत्ति करता है, तो उसे वह लाभ नहीं मिलेगा जो वह चाहता है, उसे फलों का आनंद लेते हुए ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। एक भाग का लाभ उठाते हुए बाकी भाग को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को सवाल पूछते समय किसी उपकरण का लाभ लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। ऐसे पक्ष को या तो लेन-देन की पुष्टि करनी होगी या उसकी पुष्टि नहीं करनी होगी। इस सिद्धांत को एक सामान्य कानून सिद्धांत के रूप में अधिक जोश के साथ लागू किया जाना चाहिए, यदि ऐसा पक्ष वास्तव में एक हिस्से का पूरी तरह से आनंद लेता है और उक्त आनंद के पूरा होने पर, उसके बाद दूसरे हिस्से पर सवाल उठाता है। अ.

निष्पक्ष खेल का तत्व इस सिद्धांत में अंतर्निहित है। यह भी एक प्रजाति है

एक पक्ष के आचरण से निपटने का विरोध। [पैरा 26] [266-एच; 267-ए-सी]

3. भारत के संविधान का अनुच्छेद 226

न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत राहत की असाधारण और विवेकाधीन प्रकृति पर गहराई से विचार नहीं करेगा।

भारत से। इस सिद्धांत को तब और अधिक बढ़ाया जाना चाहिए जब इसमें अनुचित देरी, बाधाएं और सहमति का तत्व शामिल हो। किसी मामले पर विचार करते समय भी इस सिद्धांत को अपनाना आवश्यक है। अनुमोदन और प्रत्याख्यान शामिल है। [पैरा 28,29] [271-सी; 279-डी-ई]

4. न्याय का दस्तावेज़:

निष्पक्षता का सिद्धांत प्रत्येक नियोक्ता में अंतर्निहित है और

कर्मचारी संबंध। उक्त सिद्धांत को संबंध के स्तर पर लागू करने के बजाय अस्तित्व में आने के बाद लागू किया जाना चाहिए

भर्ती। भर्ती से निपटने के दौरान, उपयुक्तता और पर्याप्तता के सवाल पर, नियोक्ता को उचित रूप से पर्याप्त विवेक प्रदान किया जाता है। उस स्तर पर, सवाल एक विशेष प्रकार के काम को पूरा करने के लिए नियोक्ता की आवश्यकता के संबंध में है। एक नियोक्ता और कर्मचारी संबंध में, निष्पक्षता के सिद्धांत को अधिक जोश के साथ लागू किया जाना चाहिए जब इसमें राज्य का एक साधन शामिल हो। इसलिए,

किसी राज्य से कर्मचारी के हित के प्रतिकूल कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जाती है, और भेदभाव वैध होना चाहिए। अंततः, किसी को भी भारी जनहित को [2021] 10 एस. सी. आर. की प्रत्येक कार्रवाई के रूप में देखना होगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

राज्य की साधनशीलता को ऐसा माना जाता है। उक्त सिद्धांत को लागू करते समय, इस तथ्य के प्रति सचेत रहना होगा कि कानून के विरुद्ध किसी कर्मचारी की ओर से वैध अपेक्षा नहीं हो सकती है। [पैरा 30] [279-ई-एच]

5. कार्य नियमः

नियम अपने आप में कार्यकाल नियुक्ति को प्रतिबंधित नहीं करते हैं। प्रत्यक्ष भर्ती की परिभाषा का अर्थ होगा भर्ती के माध्यम से

नियमों के तहत निर्धारित एक प्रक्रिया। इसलिए, कल्पना के किसी भी विस्तार से, कोई भी व्याख्या नहीं कर सकता है कि सभी सीधी भर्तियां

नियमित रोजगार द्वारा किया जाना है। इसलिए, सीधे

उचित प्रक्रिया का पालन करना कानून के विपरीत नहीं कहा जा सकता है। प्रत्यक्ष भर्ती में नियमित या कार्यकाल के आधार पर नियुक्ति नियोक्ता का विवेक है, विशेष रूप से जब नियम निषेध नहीं करते हैं। नियम 48 एक नियमित कर्मचारी के लिए सेवानिवृत्ति की आयु की बात करता है जो साठ वर्ष पूरा होगी। उक्त नियम की सराहना करने में कोई कठिनाई नहीं है, जो केवल एक नियमित कर्मचारी से संबंधित है और इसलिए कार्यकाल पर की गई नियुक्ति से निपटने के लिए कोई आवेदन नहीं हो सकता है। आधार। आखिरकार, एक अदालत किसी कर्मचारी को उससे अलग दर्जा नहीं दे सकती जो उसे दिया गया था और स्वीकार किया गया था।

विशेष रूप से जब यह नियमों के तहत निषिद्ध नहीं है। [पैरा 32] [282-सी-ई]

6.1 एक असमान सौदेबाजी शक्ति का कोई तत्व नहीं है

शामिल हैं। किसी ने भी प्रतिवादी को प्रवेश करने के लिए मजबूर नहीं किया है अनुबंध। वे वास्तव में 23 वर्षों तक सोसायटी के कर्मचारी रहे। यह न्यायालय इस प्रश्न में नहीं जाना चाहता कि क्या यह पुनर्नियुक्ति का मामला है या नहीं, क्योंकि तथ्य यह है कि

प्रतिवादी नौकरी चाहता था, यही कारण है कि उसके स्थायी/नियमित कर्मचारी होने के मुद्दे को उठाने के लिए एक अस्पष्ट और अध्ययन की गई अनिच्छा थी, लेकिन केवल उसके कार्यकाल के अंतिम चरण में। सबसे पहले

अभ्यावेदनों में से कुछ 30.12.2014 पर किए गए थे, उसके बाद अन्य। आचरण अपने लिए बोलता है। इसलिए, विलंब, विलंब और स्वीकृति को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत के अनुसार,

अनुमोदन और प्रत्याख्यान, प्रत्यर्थी सं।

1 भारत और अन्य का संघ नहीं होना चाहिए। एन मुरुगेसन ईटीसी।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 को लागू करके कोई भी राहत दी गई है। कार्यकाल नियुक्ति के लिए कानून में कोई निषेध नहीं है। न्यायालय एक ऐसे पद से निपट रहा है जो प्रशासन के शीर्ष क्षेत्र में है। एक उद्देश्य और तर्क है

पद के साथ संलग्न। यह उस पद का अधिकारी होता है जिसे अनुसंधान के क्षेत्र में उद्देश्य और दृष्टि को आगे बढ़ाना होता है। निश्चित रूप से इसमें भारी जनहित शामिल है। द.

निर्णय लें। समाज के हित में कार्यकाल नियुक्ति के लिए एक सचेत निर्णय लिया गया है। इसी तरह, एक नई भर्ती के लिए जाने का एक सचेत निर्णय भी लिया गया। [पारस 37,38] [284-डी-एच; 285-ए-बी] 6.2 जिसे चुनौती दी गई थी वह केवल एक राहत देने वाला आदेश है, जिसे समाप्ति का चरित्र नहीं दिया जा सकता है। प्रभाग

बेंच ने स्थायी पद पर नियुक्ति के लिए सीधी भर्ती का गलत अर्थ निकाला। न्यायालय प्राथमिक महत्व के पद पर सीधी भर्ती से संबंधित है, अर्थात महानिदेशक, जो है कार्यकाल के आधार पर भरा जाना। जैसा कि पढ़ा और समझा गया नियम कार्यकाल नियुक्ति को प्रतिबंधित नहीं करते हैं। नियुक्ति के किसी भी निषेध और अनिवार्य तरीके के अभाव में,

कार्यकाल नियुक्ति के लिए जाने में अपीलार्थी का निर्णय पूरी तरह से क्रम में है। [पैरा 39] [285-सी-डी]

सोमेश थपलियाल बनाम। एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय 2021 एससीसी

ऑनलाइन एससी 659 विशिष्ट।

स्पष्ट रूप से यह कहते हुए कि यह उपयुक्तता के अधीन है, और पुनः नियुक्ति के लिए ऐसी उपयुक्तता पर विचार किया गया है, इस न्यायालय से अपने विचार को प्रतिस्थापित करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। "ए. सी. सी". द्वारा रिपोर्ट पर विचार न करना भी घातक नहीं होगा, क्योंकि मंत्रिमंडल सचिव ने स्वयं इसे मंजूरी दी है, और इसी तरह अन्य उच्च अधिकारियों ने भी। प्रत्यर्थी ने कोई महत्वपूर्ण

पूर्वाग्रह नहीं दिखाया है। यहां तक कि अगर कोई यह मानता है कि इन सामग्रियों को "एसीसी" के सामने नहीं रखा गया है, तो ऐसे [2021] 10 एस. सी. आर. की कोई आवश्यकता नहीं हो सकती है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दो कारणों से मंजूरी। सबसे पहले, पहले अपीलार्थी ने पाया कि प्रत्यर्थी पुनः नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है, जिसे अन्य अधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसलिए नियोक्ता ने समाज के हित में एक सचेत निर्णय लिया है। दूसरा, यह विस्तार का मामला नहीं है जिसमें शायद "एसीसी" द्वारा पुष्टि की गई होगी। माननीय मंत्री सहित सभी अपीलार्थियों ने व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए नई भर्ती के लिए जाने के बाद के निर्णय को मंजूरी दे दी है। एक बार जब यह माना जाता है कि प्रतिवादी किसी भी विस्तार का हकदार नहीं है, तो परिणामी लाभ प्रदान नहीं किए जा सकते हैं। प्रतिवादी किसी भी राहत का हकदार नहीं है। विवादित आदेश को अलग कर दिया जाता है। [पारस 42-44] [286-A-E]

नागुबाई अम्मल बनाम। बी. शमा राव, 1956 एससीआर 451; राज्य

पंजाब बनाम। धनजीत सिंह संधू, (2014) 15 एससीसी 144 [2014] 3 एस. सी. आर. 1121; राजस्थान राज्य औद्योगिक

विकास और निवेश निगम। वी. हीरा और रत्न

विकास निगम। लिमिटेड, (2013) 5 एससीसी 470: [2013] 4

एस. सी. आर. 331; यूपी जल निगम बनाम। जसवंत सिंह, (2006) 11 एससीसी 464: [2006] 8 पूरक। एस. सी. आर. 916; पूर्वी कोयला क्षेत्र

लिमिटेड वी. दुगल कुमार, (2008) 14 एस. सी. सी. 295: [2008] 11

एस. सी. आर. 369; जम्मू और कश्मीर राज्य बनाम। आर. के. ज़लपुरी (2015) 15 एस. सी. सी.

602 : [2015] 12 एस. सी. आर. 285; सहायक आबकारी आयुक्त

और अन्य वी। इसाक पीटर और अन्य, इसाक पीटर;

सहायक आबकारी आयुक्त, (1994) 4 एस. सी. सी. 104:

[1994] 2 एससीआर 67-पर भरोसा किया।

मामला कानून संदर्भ

[2014] 3 एससीआर 1121

उस पर भरोसा करें

पैरा 27

[2013] 4 एससीआर 331

उस पर भरोसा करें

पैरा 27

[2006] 8 पूरक। एससीआर 916

उस पर भरोसा करें

पैरा 28

[2008] 11 एससीआर 369

उस पर भरोसा करें

पैरा 28

[2015] 12 एससीआर 285

उस पर भरोसा करें

पैरा 28

[1994] 2 एससीआर 67

उस पर भरोसा करें

पैरा 30 भारत और अन्य संघ v. एन मुरुगेसन ईटीसी।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील Nos.2491

2492 2021 से।

बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 26.04.2019 से रिट अपील संख्या। 1555 और 2018 का 1556

(एस-रेस)।

के साथ 2021 की सिविल अपील Nos.2493-2494।

के. एम. नटराज, ए. एस. जी., गुरमीत सिंह मक्कर, राजन के. चौरसिया, सुश्री विमला सिन्हा, वत्सल जोशी, शरत नांबियार, प्रशांत भूषण,

सुश्री एलिस राज, राहुल गुप्ता, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. एम. सुंदरेश, जे.

1. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित अपर सॉलिसिटर जनरल श्री के. एम. नटराज और प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान वकील श्री प्रशांत भूषण को सुना गया। श्री वी. एस. नंदकुमार की ओर से कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, जिन्हें एक निजी प्रतिवादी के रूप में नियुक्त किया गया है और जिनकी भर्ती और चयन को भी प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा चुनौती दी गई थी। हमने पक्षों द्वारा दायर किए गए दस्तावेजों और लिखित प्रस्तुतियों का भी अध्ययन किया है।

2. चूंकि वर्तमान अपीलें दोनों प्रतिद्वंद्वी पक्षों द्वारा एक ही विवादित फैसले को चुनौती देते हुए दायर की जाती हैं, इसलिए संक्षिप्तता के लिए उन्हें एक सामान्य आदेश द्वारा निपटाया जाता है। 2021 की सिविल अपील संख्या 2491-2492

एक प्रमुख मामले के रूप में लिया जाता है, और इसके तहत तैयार किए गए पक्षों को अन्य मामलों के लिए भी उसी तरीके से लिया जाना चाहिए।

प्राथमिक तथ्य:

3. केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान (सी. पी. आर. आई.) कर्नाटक सोसायटी अधिनियम, 1960 के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत एक स्वायत्त निकाय है। यह विद्युत मंत्रालय के तत्वावधान में कार्य करता है। इस संस्थान का उद्देश्य देश में बिजली क्षेत्र में सुधार के लिए योगदान करना है। विद्युत प्रणाली में विश्वसनीयता सुनिश्चित करने और नए उत्पादों का नवाचार और विकास करने के लिए विद्युत उपकरण, घटकों के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्रीय परीक्षण, प्रमाणन प्राधिकरण के रूप में कार्य करने के अलावा विद्युत ऊर्जा इंजीनियरिंग में अनुप्रयुक्त अनुसंधान करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की प्रयोगशाला के रूप में कार्य करते हुए विद्युत प्रणालियों की योजना, संचालन और नियंत्रण। इस प्रकार, सी. पी. आर. आई. के कामकाज में जनहित का एक चरम तत्व शामिल है।

4. प्रतिवादी/रिट याचिकाकर्ता शुरू में वर्ष 1984-05.07.1984 में CPRI की सेवाओं में शामिल हुआ था। उनके अनुरोध पर, वे [2021] 10 एस. सी. आर. थे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इंजीनियरिंग अधिकारी, ग्रेड-IV डब्ल्यू. ई. एफ. 31.03.2008 के रूप में काम करते हुए स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हुए।

5. कार्यालय ज्ञापन दिनांक 08.11.1991 द्वारा, भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने एक प्रक्रिया शुरू की

जिसमें कहा गया है कि कुछ निर्दिष्ट पदों की नियुक्ति के लिए, "मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति" ("एसीसी") की मंजूरी की आवश्यकता होगी जिसमें माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री शामिल होंगे। स्वायत्त संस्थानों में "एसीसी" द्वारा अनुमोदित नियुक्तियों की सुविधा के लिए 03.07.2006 पर एक और कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया था। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि महानिदेशक का पद उनमें से एक है। 6. महानिदेशक के पद को भरने के लिए या तो सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति पर 16.05.2009 पर एक विज्ञापन दिया गया था।

सीपीआरआई (वेतन, भर्ती और पदोन्नति) नियम, 1989 (कार्यशील) नियम संख्या 1)। प्रत्यर्थी ने सीधे भर्ती पर नियुक्त होने के योग्य होने के कारण उक्त पद के लिए आवेदन किया था।

प्रत्यक्ष भर्ती के लिए वर्ष, जबकि इसे एक और वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है प्रतिनियुक्ति के लिए वर्ष। शैक्षणिक योग्यता के क्षेत्र में, आवश्यक डिग्री से, इसमें क्षेत्रों में 15 वर्षों का अनुभव भी शामिल होगा।

जिसका उल्लेख नीचे किया गया है। प्रत्यक्ष भर्ती के मामले में महानिदेशक के रूप में नियुक्ति के बाद एक वर्ष की सेवा पूरी होने पर प्रदर्शन समीक्षा भी अनिवार्य है। मूल्यांकन खोज सह-चयन समिति द्वारा किया जाता है जिसमें क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल होते हैं। प्रतिनियुक्ति की अवधि तीन साल की है, जिसे पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है।

8. उपरोक्त से, हम स्पष्ट रूप से एकत्र कर सकते हैं कि पद

महानिदेशक बहुत उच्च स्तर का महत्व रखते हैं। यह तथ्य कि आयु सीमा पूर्ण होने के 55 वर्ष पर निर्धारित की गई है, 15 वर्ष के अनुभव के साथ अधिकतम होने के कारण भी इसके पीछे के तर्क को इंगित करता है।

योग्यता तय की गई।

9. विद्युत मंत्रालय, उचित विचार-विमर्श के बाद

खोज-सह-चयन समिति द्वारा की गई सिफारिश प्रत्यर्थी के पक्ष में, भारत और अन्य संघ के पद के लिए "ए. सी. सी". की मंजूरी मांगी।

एन मुरुगेसन ईटीसी। [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

महानिदेशक, सी. पी. आर. आई. ने पदभार ग्रहण करने की तारीख से लेकर

सेवानिवृत्ति पर उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख (31.05.2019) या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो।

10. कैबिनेट सचिव द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसरण में फाइल को माननीय मंत्री और फिर माननीय प्रधानमंत्री को वितरित किया गया था। प्रासंगिक सामग्री पर विचार करने के बाद, "ए. सी. सी".. के सदस्य के रूप में माननीय प्रधानमंत्री ने पांच साल के प्रारंभिक कार्यकाल के लिए या अगले आदेश तक के लिए अपनी मंजूरी की मुहर दे दी, इस निर्देश के साथ कि प्रतिवादी अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख 31.05.2019 तक आगे के कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होगा। 11. बिजली मंत्रालय द्वारा नियुक्ति का आदेश अपने दिनांक 22.03.2010 वाले पत्र के माध्यम से जारी किया गया था। 26.03.2010 पर, प्रत्यर्थी ने स्वीकार किया

प्रस्ताव दिया और अपने कार्यालय में शामिल हो गए। तदनुसार उन्हें उनकी नियुक्ति और कार्यकाल के संबंध में "एसीसी" द्वारा किए गए निर्णय के बारे में उनकी स्वीकृति से पहले ही सूचित कर दिया गया था। हम यह भी नोट कर सकते हैं कि उचित सूचना दी गई है

वेतनमान सहित नियमों और शर्तों पर दिया गया। 12. प्रत्यर्थी बिना किसी आपत्ति के कार्यभार संभालने की तारीख से अपनी भूमिका निभाता रहा। उनका कार्यकाल आने पर

अंत में, पहली बार उन्होंने अपने शामिल होने की तारीख से लगभग चार साल और नौ महीने बाद, बिजली मंत्रालय के सचिव को 30.12.2014 पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसमें यह रुख अपनाया गया कि उसके बाद से

नियुक्ति सीधी भर्ती के माध्यम से की गई थी, उसे एक नियमित कर्मचारी के रूप में माना जाना चाहिए और इसलिए, उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक जारी रखा जाना चाहिए। सी. पी. आर. आई. शासी परिषद के अध्यक्ष से भी ऐसा ही अनुरोध किया गया था। इसके बाद एक के बाद एक अभ्यावेदनों की एक श्रृंखला हुई, शायद यह अच्छी तरह से जानते हुए कि समय समाप्त हो रहा था।

13. इस बीच, प्रदर्शन मूल्यांकन के रूप में किया गया था

नियमों के तहत अनिवार्य, जो संतोषजनक पाए गए। विस्तार की आगे की अवधि के लिए उनकी पात्रता पर विचार करने के सवाल पर, एक विस्तृत अध्ययन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 05.02.2015 दिनांकित एक रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि कार्यकाल आधारित नियुक्ति को आगे की अवधि के लिए बढ़ाना संस्थान के हित में नहीं होगा। इस तरह की रिपोर्ट को माननीय सहित सभी प्राधिकरणों के समक्ष रखे जाने पर मंत्री महोदय, नियोक्ता द्वारा नई भर्ती के लिए जाने का एक सचेत निर्णय लिया गया था। इस निर्णय को सभी अधिकारियों ने भी मंजूरी दी थी। इस संबंध में, हम

ध्यान दे सकते हैं कि प्रत्यर्थी की सेवा के विस्तार के लिए "एसीसी" द्वारा दी गई मंजूरी के संबंध में कोई स्पष्टता नहीं है। दिनांक 22.02.2015 के विज्ञापन के अनुसरण में, [2021] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

निजी उत्तरदाता को नियुक्त किया गया और नए निदेशक के रूप में चुना गया जनरल।

14. उपरोक्त परिस्थितियों में, प्रत्यर्थी ने दो दायर किए

कर्नाटक के उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाओं में उन्हें दिए गए राहत आदेश पर सवाल उठाते हुए इसे समाप्त करने का आदेश बताते हुए दिनांकित 05.02.2015, विज्ञापन दिनांकित 22.02.2015 और निजी प्रतिवादी की भर्ती को और चुनौती दी गई है।

15. विद्वान एकल न्यायाधीश ने विलंब और विलंब के आधार पर रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया। यह भी माना गया कि इस तरह के मामले में भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र के आह्वान की आवश्यकता नहीं है। 16. उपरोक्त से व्यथित होकर, प्रत्यर्थी ने खंड पीठ के समक्ष अपील दायर की। डिवीजन बेंच ने बिना अपील किए अनुमति दे दी

वर्तमान को नियंत्रित करने वाले नियमों को समझते हुए कानून के सिद्धांत मामला।

भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872:

18. अधिनियम की धारा 3 स्वयं एक अधिनियम से संबंधित है -

प्रस्ताव का संचार, स्वीकृति और निरसन। जब कोई प्रस्ताव दिया जाता है, तो निष्कर्षित अनुबंध के चरित्र को स्वीकार करने के लिए प्राप्तकर्ता द्वारा इसे स्वीकार करने की आवश्यकता होती है। इसलिए, प्रस्ताव की शर्तों का ज्ञान स्वीकृति के लिए एक प्राथमिक और आवश्यक कारक है। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए, जब कोई स्वीकृति अयोग्य तरीके से की जाती है, तो यह प्रस्ताव की शर्तों के ज्ञान के साथ उक्त स्वीकृति को अपने व्यापक रूप में लेता है। यही कारण है कि एक अस्वीकृत प्रस्ताव न तो कोई अधिकार और न ही दायित्व पैदा करता है। अधिनियम की धारा 7 के तहत मौजूद ऐसी स्वीकृति पूर्ण और अयोग्य दोनों होनी चाहिए। के अनुसार

धारा 8, किसी प्रस्ताव की शर्तों का निष्पादन या एक पारस्परिक वादे के लिए किसी भी विचार की स्वीकृति जो एक प्रस्ताव के साथ पेश की जा सकती है, प्रस्ताव की स्वीकृति है। इसलिए, एक पूर्ण और अयोग्य स्वीकृति प्रस्ताव की शर्तों के साथ अनुबंध को जन्म देगी।

भारत और अन्य का संघ v. एन मुरुगेसन ईटीसी। [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

19. धारा 39 पक्ष द्वारा किसी वादे को पूरी तरह से पूरा करने से इनकार करने के प्रभाव से संबंधित है। हालांकि हम इससे चिंतित नहीं हैं। प्रावधान, यह प्रावधान एकमात्र ऐसा है जो सहमति की अवधारणा की बात करता है, जिसे शब्दों या आचरण द्वारा दर्शाया जा सकता है, जो अनुबंध को समाप्त करने के लिए एक अपवाद है। इस प्रावधान के तहत, एक प्रतिज्ञाकर्ता अनुबंध को तब तक समाप्त कर सकता है जब तक कि सहमति का कोई तत्व मौजूद न हो जिसे उसके शब्दों या आचरण के माध्यम से देखा और प्रदर्शित किया जा सके। जाहिर है, ऐसा अनुबंध जिसमें शब्द या आचरण भी शामिल होगा, प्रत्येक मामले के तथ्यों पर देखा जाना चाहिए।

देरी, कमी और शांति:

20. विलम्ब, विलंब और स्वीकृति को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत कई अवसरों पर परस्पर व्याप्त और परस्पर जुड़े हुए हैं। लेकिन उनके पास

उनके विशिष्ट चरित्र और विशिष्ट तत्व। कोई कह सकता है कि देरी है वह वंश जिसके लिए लैच और स्वीकृति प्रजातियाँ हैं। इसी तरह, लैच को एक प्रजाति के लिए एक जीनस कहा जा सकता है। हालांकि, एक ऐसा मामला हो सकता है जिसमें सहमति शामिल हो, लेकिन बाधाएं नहीं। ये सिद्धांत सामान्य कानून के सिद्धांत हैं, और शायद कोई यह पहचान सकता है कि ये सिद्धांत विभिन्न कानूनों में जगह पाते हैं जो सीमा की अवधि को प्रतिबंधित करते हैं और कुछ परिस्थितियों में माफी पर विचार नहीं करते हैं। वे अभ्यास के माध्यम से लागू होने के लिए बाध्य हैं।

कानून के सख्त अनुप्रयोग की तुलना में न्यायालय के विवेक की आवश्यकता होती है। इन अवधारणाओं को नियंत्रित करने वाला अंतर्निहित सिद्धांत अवरोधों में से एक होगा। पूर्वाग्रह का प्रश्न भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर न्यायालय द्वारा ध्यान दिया जाना चाहिए।

खामियां:

21. लाचेस शब्द फ्रांसीसी भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है "शिथिलता और शिथिलता"। इस प्रकार इसमें अनुचित देरी शामिल है या

दूसरे पक्ष के लिए पूर्वाग्रह पैदा करते हुए एक न्यायसंगत राहत से जुड़े दावे को आगे बढ़ाने में लापरवाही। एक पक्ष की ओर से एक ऐसा कार्य करने की उपेक्षा की जाती है जिसकी कानून को अधिकार का दावा करते समय आवश्यकता होती है, और इसलिए, पक्ष को राहत या उपचार प्राप्त करने के रास्ते में खड़ा होना चाहिए।

22. देरी की अवधि दो आवश्यक कारक हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

और अंतराल के दौरान किए गए कार्यों की प्रकृति। जैसा कि कहा गया है, इसमें अदालत का रुख करने वाले पक्ष की ओर से सहमति भी शामिल होगी

अंतराल में स्थिति में परिवर्तन के अलावा। इसलिए, समता न्यायालय के लिए यह अनुचित होगा कि वह उस पक्ष को कोई उपाय प्रदान करे जो उसके दरवाजे खटखटाता है जब उसके कार्य इस तरह के अधिकार की छूट का संकेत देते हैं।

अपने आचरण से, उन्होंने दूसरे पक्ष को एक विशेष स्थिति में रखा है, और इसलिए, न्यायालय के समक्ष चुनौती देना अनुचित होगा। इस प्रकार, समता पर अपने आचरण के लिए जिम्मेदार व्यक्ति से किसी उपाय का लाभ उठाने की अनुमति की उम्मीद नहीं की जाती है।

23. लैच के बचाव की अनुमति केवल तभी दी जा सकती है जब कोई वैधानिक प्रतिबंध न हो। यह प्रश्न कि क्या कोई स्पष्ट मामला मौजूद है

किसी व्यक्ति द्वारा उपचार की मांग करना एक तथ्य है और इसी तरह पूर्वाग्रह भी। जब दूसरे पक्ष द्वारा धोखाधड़ी के अस्तित्व का अनुरोध किया जाता है और साबित किया जाता है तो उक्त सिद्धांत का कोई उपयोग नहीं हो सकता है। लैच और स्वीकृति की अवधारणा के बीच अंतर निर्धारित करने के लिए यह है कि, केवल लाचों से जुड़े मामले में, रोक का सिद्धांत उन सभी बचावों पर लागू होगा जो एक पक्ष के लिए उपलब्ध हैं। इसलिए, एक प्रतिवादी वादी द्वारा उठाए गए विभिन्न आधारों पर सफल हो सकता है, जबकि अकेले संबंधित मुद्दा सहमति के लिए उत्तरदायी होगा।

गतिविधि:

24. हम पहले ही एक ओर स्वीकृति और दूसरी ओर विलंब और विलंब के बीच के संबंध पर चर्चा कर चुके हैं। स्वीकृति का अर्थ एक मौन या निष्क्रिय स्वीकृति होगा। यह एक अधिनियम के लिए निहित और अनिच्छुक सहमति है। दूसरे शब्दों में, इस तरह की कार्रवाई एक निष्क्रिय सहमति के योग्य होगी। इस प्रकार, जब स्वीकृति होती है, तो यह किसी विशेष कार्य के खिलाफ ज्ञान का अनुमान लगाता है। ज्ञान से

निष्क्रिय स्वीकृति आती है, इसलिए मूल अनुबंध को करने के लिए किसी भी कथित इनकार के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के बजाय, इसकी शर्तों की पर्याप्त जानकारी के बावजूद, और इसके बजाय द्वारा जारी रखने की अनुमति दी जा रही है

सचेत रूप से इसे अनदेखा किया जाता है और उसके बाद आगे बढ़ते हुए, सहमति हो जाती है।

25. परिणामस्वरूप, यह पक्षों के बीच एक नए निहित समझौते को फिर से प्रस्तुत करता है। एक बार ऐसी स्थिति उत्पन्न होने के बाद, यह उस पक्ष के लिए खुला नहीं है जो मूल शर्तों के अनुपालन पर जोर

देने के लिए खुद को स्वीकार करता है। इसलिए, जो आवश्यक है, वह है पक्षों का आचरण। हमने केवल उस भेद पर ध्यान दिया जिसमें केवल एक सहमति शामिल थी। कब

स्वीकृति के बाद देरी होती है, यह बाधा बन सकती है। यहाँ फिर से, हम यह मानने के लिए इच्छुक हैं कि सहमति की अवधारणा को मामले-दर-मामले के आधार पर देखा जाना चाहिए।

प्रस्तावित और प्रस्तावित करना:

26. ये वाक्यांश स्कॉट के नियम से लिए गए हैं। उनका मतलब केवल यह होगा कि किसी भी पक्ष को भारत और अन्य के समान संघ को स्वीकार और अस्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

एन मुरुगेसन ईटीसी। [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

चीज, और इस प्रकार कोई गर्म और ठंडा नहीं उड़ा सकता है। चुनाव के सिद्धांत के पीछे का सिद्धांत अनुमोदन और खंडन की अवधारणा में अंतर्निहित है।

एक बार फिर, यह इक्विटी का एक सिद्धांत है जो इसकी रूपरेखा के तहत आता है

सामान्य कानून। इसलिए, जो यह जानता है कि यदि वह किसी वाद्य पर आपत्ति करता है, तो उसे वह लाभ नहीं मिलेगा जो वह चाहता है, उसे फलों का आनंद लेते हुए ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। एक भाग का लाभ उठाते हुए बाकी भाग को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को सवाल पूछते समय किसी उपकरण का लाभ लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। ऐसे पक्ष को या तो लेन-देन की पुष्टि करनी होगी या उसकी पुष्टि नहीं करनी होगी। इस सिद्धांत को एक सामान्य कानून सिद्धांत के रूप में अधिक जोश के साथ लागू किया जाना चाहिए, यदि ऐसा पक्ष वास्तव में एक हिस्से का पूरी तरह से आनंद लेता है और उक्त आनंद के पूरा होने पर, उसके बाद दूसरे हिस्से पर सवाल उठाता है। निष्पक्ष खेल का एक तत्व इस सिद्धांत में अंतर्निहित है। यह एक पार्टी के आचरण से संबंधित एस्टोपेल की एक प्रजाति भी है। हम पहले से ही एक पक्ष के आचरण से संबंधित अनुबंध अधिनियम के प्रावधानों और बिना शर्त उसकी स्वीकृति के माध्यम से एक प्रस्ताव की पुष्टि करते हुए उसके ज्ञान के अनुमान पर विचार कर चुके हैं।

27. हम बेहतर के लिए निम्नलिखित निर्णयों को उद्धृत करना चाहेंगे।

उक्त सिद्धांत की सराहना और समझ:

नागुबाई अम्मल बनाम। बी. शमा राव, 1956 एससीआर 451:

" लेकिन श्री कृष्णस्वामी अय्यंगार का तर्क है कि ओएस में कार्यवाही के रूप में। 1938-39 के नंबर 92 पर इस दलील को रोकने के लिए भरोसा किया जाता है कि ओएस में डिक्री और बिक्री। 1919-20 की संख्या 100 सांठगांठ वाली नहीं है, न कि प्रति न्यायिक या निरोध के आधार पर, बल्कि इस सिद्धांत पर कि कोई व्यक्ति अनुमोदन और खंडन दोनों नहीं कर सकता है, यह मायने नहीं रखता है कि

वर्तमान अपीलार्थी इसमें पक्षकार नहीं थे, और वर्शर्स क्रीमरीज़ लिमिटेड v. में निर्णय। हल और नीदरलैंड स्टीमशिप कंपनी

लिमिटेड [(1921) 2 KB 608], और विशेष रूप से, पृष्ठ 611 पर स्क्रूटन, LJ की टिप्पणियों को इस स्थिति के समर्थन में उद्धृत किया गया था। वहाँ, तथ्य यह थे कि एक एजेंट ने माल को वितरित किया
प्रिंसिपल के निर्देशों के विपरीत ग्राहक, जिसने इसके बाद माल की कीमत के लिए खरीदार के खिलाफ मुकदमा दायर किया और एक डिक्री प्राप्त की। संतुष्टि न मिलने पर, प्रधानाचार्य ने लापरवाही और कर्तव्य के उल्लंघन के आधार पर एजेंट के खिलाफ मुकदमा दायर किया। यह माना गया कि इस तरह की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई थी। निर्णय का आधार यह है कि जब एक ही तथ्यों पर, एक व्यक्ति को दो राहतों में से एक का दावा करने का अधिकार है और पूरी जानकारी के साथ वह एक का दावा करने का विकल्प चुनता है और [2021] 10 एस. सी. आर. प्राप्त करता है।

इसके बाद उनके लिए अपने चुनाव पर वापस जाने के लिए खुला नहीं है और

वैकल्पिक राहत का दावा करें। इस प्रकार यह सिद्धांत बैंक्स, एल. जे. द्वारा कहा गया था। :

" उसे डिलीवरी को एक अधिकृत डिलीवरी के रूप में मानने के लिए चुने जाने के बाद वे उसी कार्य को एक के रूप में नहीं मान सकते हैं

गलत वितरण। ऐसा करने के लिए अनुमोदन करना होगा और

उसी कृत्य की निंदा करें "।

स्क्रूटन, एल. जे. की टिप्पणियां जिन पर अपीलार्थी भरोसा करते हैं, वे इस प्रकार हैं:

“ वादी को मंजूरी देने की अनुमति नहीं है और

खंडन करें '। यह वाक्यांश स्पष्ट रूप से स्कॉच कानून से लिया गया है, जहां इसका उपयोग सिद्धांत को व्यक्त करने के लिए किया जाता है।

चुनाव के हमारे सिद्धांत में सन्निहित है, अर्थात्, कि नहीं

पार्टी इसे स्वीकार और अस्वीकार कर सकती है।

यंत्र: केर वी। वाउचोप [(1819) 1 ब्ली 1,21]: डगलस-मेन्ज़ीस बनाम। उम्पेल्बी [(1908) ए. सी. 224,232] हालांकि चुनाव का सिद्धांत सीमित नहीं है

उपकरण। एक व्यक्ति एक समय में यह नहीं कह सकता है कि कोई लेन-देन वैध है और इस तरह कुछ लाभ प्राप्त करता है, जिसके लिए वह केवल इस आधार पर हकदार हो सकता है कि यह वैध है, और फिर मुड़कर कहता है कि यह किसी अन्य लाभ को प्राप्त करने के उद्देश्य से शून्य है। वह यह है कि

लेन-देन को मंजूरी दें और फिर से पुष्टि करें "।

उपरोक्त टिप्पणियों से यह स्पष्ट है कि यह उक्ति कि कोई व्यक्ति 'अनुमोदन और खंडन' नहीं कर सकता है, चुनाव के सिद्धांत का केवल एक अनुप्रयोग है, और इसका संचालन होना चाहिए

उसी लेन-देन के संबंध में दावा की गई राहत और उन व्यक्तियों तक सीमित जो उसमें पक्षकार हैं। इस प्रकार कानून को हैल्सबरी के लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड, वॉल्यूम में कहा गया है। XIII, पृ. 464 , पैरा 512 :

" इस सिद्धांत पर कि एक व्यक्ति अनुमोदन और खंडन नहीं कर सकता है, एस्टोपेल की एक प्रजाति उत्पन्न हुई है जो रिकॉर्ड द्वारा एस्टोपेल के बीच मध्यवर्ती प्रतीत होती है और

पैसे में रोकें, और आसानी से यहाँ संदर्भित किया जा सकता है। इस प्रकार एक पक्ष को, एक आदेश (जैसे लागत का भुगतान) के तहत लाभ उठाने के बाद, यह कहते हुए नहीं सुना जा सकता है कि यह अमान्य है और इसे अलग रखने के लिए नहीं कहा जा सकता है, या भारत के एन. आई. ओ. एन. और अन्य v.

एन मुरुगेसन ईटीसी। [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

उन व्यक्तियों का पूर्वाग्रह जिन्होंने इस पर भरोसा किया है एक मामला

जिस पर इसकी स्थापना की गई थी, उसके साथ असंगत; और न ही क्या उसे आदेश के पीछे जाने की अनुमति दी जाएगी?

तीसरे के पूर्वाग्रह के लिए सही तथ्यों की अज्ञानता

जिन दलों ने इस पर कार्रवाई की है "।

पंजाब राज्य बनाम। धनजीत सिंह संधू (2014) 15 एस. सी. सी. 144:

" 22. "अनुमोदन और खंडन" का सिद्धांत केवल एक है

एस्टोपेल की प्रजातियाँ, इसका तात्पर्य केवल दलों के आचरण से है। जैसा कि रोक के मामले में यह प्रावधानों के खिलाफ काम नहीं कर सकता है।

एक कानून। (सी. आई. टी. वी. वी. एमआर. पी. फर्म मुआर [सीआईटी बनाम। वी. एमआर. पी. फर्म मुर, ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 1216])।

23. यह कानून का तय प्रस्ताव है कि एक बार आदेश पारित हो जाने के बाद, इसका पालन किया जाता है, दूसरे पक्ष द्वारा स्वीकार किया जाता है और इससे लाभ प्राप्त होता है, तो वह इसे किसी भी मामले में चुनौती नहीं दे सकता है।

जमीन। (महाराष्ट्र एस. आर. टी. सी. बनाम। बलवंत नियमित मोटर सेवा [महाराष्ट्र एस. आर. टी. सी. बनाम। बलवंत रेगुलर मोटर

सेवा, ए. आई. आर. 1969 एस. सी. 329]। आर. एन. गोसैन बनाम यशपाल धीर [आर. एन. गोसैन बनाम। यशपाल धीर, (1992) 4 एस. सी. सी. 683] इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की है: (एससीसी पीपी। 687-88 , पैरा 10)

" 10. कानून किसी व्यक्ति को अनुमोदन और खंडन दोनों की अनुमति नहीं देता है। यह सिद्धांत इस सिद्धांत पर आधारित है

चुनाव जो यह मानता है कि कोई भी दल स्वीकार नहीं कर सकता है

और एक ही साधन को अस्वीकार करते हैं और यह कि 'कोई व्यक्ति एक समय में यह नहीं कह सकता है कि कोई लेन-देन वैध है और इस प्रकार

कुछ लाभ प्राप्त करें, जिसके लिए वह केवल हो सकता है

इस आधार पर हकदार है कि यह वैध है, और फिर मुड़ें और कहें कि यह सुरक्षित करने के उद्देश्य से शून्य है

कुछ अन्य लाभ '।

विकास और निवेश निगम। वी. हीरा और रत्न विकास निगम। लिमिटेड, (2013) 5 एससीसी 470: (2013) 3 एससीसी

(सी. आई. वी.) 153], ने एक अवलोकन किया कि एक दल को "गर्म और ठंडा उड़ाने", "तेज और ढीला" या "अनुमोदन [2021] 10 एस. सी. आर. की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

और निंदा करें "। जहाँ कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी अनुबंध या परिवहन या आदेश के लाभों को स्वीकार करता है, वहाँ उस पर ऐसे अनुबंध या परिवहन या आदेश की वैधता या बाध्यकारी प्रभाव को अस्वीकार करने के लिए छोड़ दिया जाता है। यह नियम समानता करने के लिए लागू किया जाता है, हालांकि, इसे इस तरह से लागू नहीं किया जाना चाहिए कि सही और अच्छे विवेक के सिद्धांतों का उल्लंघन हो।

26. यह स्पष्ट है कि चुनाव का सिद्धांत बहिष्कार के नियम पर आधारित है, यह सिद्धांत कि कोई भी अनुमोदन और खंडन नहीं कर सकता है, इसमें निहित है। चुनाव द्वारा बहिष्करण का सिद्धांत पैस (या न्यायसंगत बहिष्करण) में बहिष्करण की प्रजातियों में से एक है, जो समानता का नियम है। इस कानून के अनुसार, एक व्यक्ति

अपने कार्यों, या आचरण, या मौन के माध्यम से, जब उसे बोलना होता है, तो उस अधिकार का दावा करने से रोक दिया जाता है जो उसे अन्यथा प्राप्त होता।

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश

कॉर्प. वी. डायमंड एंड जेम डेवलपमेंट कार्पोरेशन। लिमिटेड, (2013) 5 एससीसी 470:

" I. अनुमोदन और खंडन करें

15. किसी पार्टी को "गर्म-ठंडा", "तेज और ढीला" या "अनुमोदन और खंडन" करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। जहाँ कोई जानबूझकर किसी अनुबंध, या परिवहन, या किसी अनुबंध के लाभों को स्वीकार करता है।

आदेश, वह वैधता से इनकार करने से वंचित है, या इस तरह के अनुबंध के बाध्यकारी प्रभाव, या हस्तांतरण, या खुद पर आदेश। यह नियम समानता सुनिश्चित करने के लिए लागू किया जाता है, हालांकि, इसे इस तरह से लागू नहीं किया जाना चाहिए ताकि सही और अच्छे विवेक के सिद्धांतों का उल्लंघन हो। [नागुबाई अम्मल बनाम। बी. शमा राव [ए. आई. आर. 1956 एस. सी. 593], सी. आई. टी. बनाम वी. एमआर. पी. फर्म मुआर [ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 1216], रमेश चंद्र सांकला बनाम। विक्रम सीमेंट [(2008) 14 एससीसी 58: (2009) 1 एससीसी (एल एंड एस) 706: ए. आई. आर. 2009 एस. सी. 713], प्रदीप ऑयल

कॉर्प. वी. एम. सी. डी. (2011) 5 एस. सी. सी. 270: (2011) 2 एस. सी. सी. (सी. वी.) 712: ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 1869], कावेरी कॉफी ट्रेडर्स बनाम। हॉर्नर

संसाधन (अंतर्राष्ट्रीय) कंपनी लिमिटेड [(2011) 10 एस. सी. सी. 420: (2012) 3 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 685 और वी. चंद्रशेखरन बनाम। प्रशासनिक अधिकारी [(2012) 12 एस. सी. सी 133: (2013) 2 एस. सी. सी. (सी. वी.) 136:

जे. टी. (2012) 9 एस. सी. 260] भारत और अन्य का निऑन v. एन मुरुगेसन ईटीसी। [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

16. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि चुनाव का सिद्धांत बहिष्कार के नियम पर आधारित है-यह सिद्धांत कि कोई भी अनुमोदन और खंडन नहीं कर सकता है, इसमें निहित है। चुनाव द्वारा बहिष्करण का सिद्धांत पैस

(या न्यायसंगत बहिष्करण) में बहिष्करण की प्रजातियों में से एक है, जो समानता का नियम है। इस कानून द्वारा, किसी व्यक्ति को उसके कार्यों या आचरण के माध्यम से वर्जित किया जा सकता है, या

मौन जब बोलना उसका कर्तव्य है, एक अधिकार का दावा करने से जो

वह अन्यथा होता। "

भारत के संविधान का आर. टी. आई. सी. 226:3. हम संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत राहत की असाधारण और अस्वाभाविक प्रकृति में गहराई से ध्यान नहीं देंगे, उनके सिद्धांत को तब और अधिक बढ़ाया जाना चाहिए जब सामान्य, शिथिल और सहमति का एक तत्व शामिल हो। निम्नलिखित निर्णय पर्याप्त होंगेः

यूपी जल निगम बनाम। जसवंत सिंह (2006) 11 एस. सी. सी. 464:

" 8. कर्नाटक राज्य बनाम मामले में इस न्यायालय के निर्णय की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया गया था। एस. एम. कोटरय्या [(1996) 6 एस. सी. सी. 267: 1996 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 1488]। उस मामले में प्रतिवादी उस राहत का दावा करने के लिए जाग गए जो न्यायाधिकरण द्वारा उनके सहयोगियों को देरी को माफ करने के लिए एक आवेदन के साथ दी गई थी। न्यायाधिकरण ने देरी को माफ कर दिया। इसलिए, राज्य ने संपर्क किया

इस न्यायालय और इस न्यायालय ने मामले पर विचार करने के बाद कहा

निम्नानुसारः (एस. सी. सी पी. 268)

" हालाँकि धारा 21 की उप-धारा (1) या (2) में उल्लिखित अवधि के भीतर हुई देरी के लिए स्पष्टीकरण देना आवश्यक नहीं है, लेकिन देरी के लिए स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए जो बाद में हुई थी।

उपयुक्त मामले में लागू उपरोक्त संबंधित अवधि की समाप्ति और न्यायाधिकरण को स्वयं को संतुष्ट करना चाहिए कि क्या दिया गया स्पष्टीकरण उचित था। में।

तत्काल मामले में, स्पष्टीकरण दिया गया था कि उन्हें अगस्त 1989 में न्यायाधिकरण द्वारा दी गई राहत के बारे में पता चला और इसके तुरंत बाद उन्होंने याचिका दायर की। यह बिल्कुल भी उचित व्याख्या नहीं है। उप-धारा (1) और (2) के तहत उन्हें यह समझाने की आवश्यकता थी कि वे [2021] 10 एस. सी. आर. की समाप्ति से पहले अपनी शिकायतों के निवारण के उपाय का लाभ क्यों नहीं उठा सके।

उप-धारा (1) या (2) के तहत निर्धारित अवधि। कि

स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था। इसलिए, न्यायाधिकरण ने देरी को माफ करने में पूरी तरह से अन्याय किया।

9. इसी तरह जगदीश लाल बनाम। हरियाणा राज्य [(1997) 6 एससीसी 538: 1997 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 1550] इस न्यायालय ने इस नियम की पुष्टि की कि यदि कोई व्यक्ति मामले पर बैठने का विकल्प चुनता है और फिर न्यायालय के फैसले के बाद जाग जाता है, तो ऐसा व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता है।

लाभ के लिए। उस मामले में यह निम्नानुसार देखा गया था: (एस. सी. सी पी. 542)

" देरी एक पक्ष को विवेकाधीन राहत के लिए अयोग्य बना देती है

संविधान के अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 32 के तहत। अपीलकर्ता लंबे समय तक अपने अधिकारों को लेकर सोते रहे और जब उन्हें विरपाल सिंह से प्रोत्साहन मिला तो वे जाग गए।

चौहान मामला [भारत संघ बनाम। विरपाल सिंह

चौहान, (1995) 6 एससीसी 684: 1996 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 1: (1995) 31 एटीसी 813]। याचिकाकर्ताओं का हताश प्रयास

वरिष्ठता को फिर से करना न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी नहीं है

इस विलंबित चरण में।

10. भारत संघ में v. सी. के. धरगुप्ता [(1997) 3 एस. सी. सी. 395: 1997 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 821] यह निम्नानुसार देखा गया: (एस. सी. सी पी. 398, पैरा 9)

" 9. तथापि, हम स्पष्ट करते हैं कि हमारे निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए कि

आर. पी. जोशी [आर. पी. जोशी] में न्यायाधिकरण का निर्णय।

जोशी बनाम. भारत संघ, 1986 का ओ. ए. सं. 497 17-3-1987 पर निर्णय केवल जोशी को राहत देता है, न्यायाधिकरण के उक्त निर्णय का लाभ किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता है। प्रत्यर्थी सी. के. धरगुप्ता (सेवानिवृत्त होने के बाद से) जोशी मामले [आर. पी. जोशी बनाम। भारत संघ, 1986 की ओ. ए. संख्या 497 ने 17-3-1987] पर निर्णय लिया। हमारे इस निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए कि न्यायाधिकरण के दिनांकित 17-3-1987 के फैसले का लाभ हो सकता है

केवल जोशी को दिया जाए और किसी और को नहीं, यहाँ तक कि

धरगुप्त किसी भी राहत के हकदार नहीं हैं।

11. सरकार में। डब्ल्यू. बी. वी. तरुण के. रॉय [(2004) 1 एससीसी 347: 2004 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 225] उनके अधिपतियों ने देरी को गंभीर कारक माना और राहत नहीं दी। इसमें इसे इस प्रकार देखा गया था: (एससीसी पीपी। 359-60 , पैरा 34)

भारत और अन्य बनाम। एन मुरुगेसन ईटीसी। [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

" 34. इसके अलावा उत्तरदाता सकल देरी और बाधाओं के आधार पर किसी भी राहत के हकदार नहीं हैं।

रिट याचिका दायर करने में उनकी ओर से। पहले दो लेख

याचिकाएं वर्ष 1976 में दायर की गई थीं जिसमें

यहाँ उत्तरदाताओं ने 1992 में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। 1976 और 1992 के बीच न केवल दो रिट याचिकाओं पर निर्णय लिया गया था, बल्कि किसी न किसी तरह से, यहां तक कि

इस अदालत ने देबदास में इस मामले पर विचार किया था।

कुमार [पश्चिम बंगाल राज्य बनाम। देबदास कुमार, 1991 पूरक (1) एस. सी. सी. 138: 1991 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 841: (1991) 17 एटीसी 261]। विलंब की याचिका, जिसे श्री कृष्णमणि कहते हैं,

अन्य व्यक्तियों को राहत देने से इनकार करने का आधार बनें

इस न्यायालय के समक्ष होने के बावजूद वे हवादार हैं उचित न्यायालयों के समक्ष उनकी शिकायतें, नहीं

आदेश पारित किया जाना चाहिए जो उनके लिए प्रतिकूल होगा कारण। ऐसी स्थिति में, हम केवल उत्तरदाताओं को कुछ राहत देने के उद्देश्य से कोई अवलोकन करने के लिए तैयार नहीं हैं, जिसके लिए वे कानूनी रूप से हकदार नहीं हैं ताकि दूसरों को इससे वंचित किया जा सके।

कानून की अदालत द्वारा इसका हकदार पाया जाएगा।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड बनाम दुगल कुमार, (2008) 14 एस. सी. सी. 295:

" 24. जहां तक रिट याचिकाकर्ता की ओर से देरी और अड़चनों का सवाल है, अपीलार्थी कंपनी के विद्वान वकील के तर्क में सार है। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत, एक उच्च न्यायालय की शक्ति एक

उचित रिट, आदेश या निर्देश विवेकाधीन है। रिट अदालत द्वारा राहत देने से इनकार करने के आधारों में से एक यह है कि याचिकाकर्ता देरी और लापरवाही का दोषी है। यह अनिवार्य है, जहां याचिकाकर्ता अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण उपचार का आह्वान करता है

संविधान, कि उसे जल्द से जल्द उचित रूप से संभव अवसर पर अदालत में आना चाहिए। रिट के लिए प्रस्ताव देने में अत्यधिक देरी वास्तव में आवेदक के पक्ष में विवेक का प्रयोग करने से इनकार करने के लिए एक पर्याप्त आधार है। 25. अंग्रेजी कानून के तहत, न्यायिक समीक्षा के लिए अनुमति के लिए एक आवेदन "तुरंत" किया जाना चाहिए। यदि इसे देर से बनाया जाता है, तो यह [2021] 10 एस. सी. आर. हो सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अस्वीकार किया जाता है। यह तथ्य कि सार्वजनिक कानून कर्तव्य का उल्लंघन है, आवश्यक रूप से आवेदक की ओर से देरी या बाधाओं पर विचार करना अप्रासंगिक नहीं बनाता है। यहां तक कि अगर अनुमति दी जाती है, तो अंतिम सुनवाई के समय इस सवाल पर विचार किया जा सकता है कि ऐसे आवेदक के पक्ष में राहत दी जानी चाहिए या नहीं। (वीडियो आर. वी. एसेक्स काउंटी परिषद [1993 सीओडी 344]।) 26. आर. वी. में डेयरी उत्पाद कोटा न्यायाधिकरण, पूर्व पी कैसवेल [(1990) 2 एसी 738: (1990) 2 डब्ल्यूएलआर 1320: (1990) 2 सभी ई. आर. 434 (एच. एल.)], पी. पर एसी। 749 , हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कहा [एड। : ओ 'रेली बनाम से उद्धृत करते हुए। मैकमैन, (1982) 3 ऑल ईआर 1124

पी। 1131 ए-बी।] : (सभी ई. आर. पी. 441 ए-बी)

" अच्छे प्रशासन में जनहित की आवश्यकता है कि

सार्वजनिक प्राधिकरणों और तीसरे पक्ष को नहीं रखा जाना चाहिए

किसी निर्णय की कानूनी वैधता के बारे में संदेह में प्राधिकरण किसी भी लंबी अवधि के लिए निर्णय लेने की शक्तियों के कथित प्रयोग में पहुंच गया है

प्रभावित व्यक्ति के लिए निष्पक्षता में आवश्यक

निर्णय "।

27. रिट जारी करने से इनकार करने के अंतर्निहित उद्देश्य को सर बार्न्स पीकॉक ने लिंडसे में संक्षेप में समझाया है। पेट्रोलियम कं. वी. प्रोस्पर आर्मस्ट्रांग हर्ड [1874 एलआर 5 पीसी 221: 22 डब्ल्यूआर 492], इस प्रकार: (एलआर पीपी। 239-40)

" अब समानता की अदालतों में बाधाओं का सिद्धांत एक मनमाना या तकनीकी सिद्धांत नहीं है। जहाँ कोई उपाय देना व्यावहारिक रूप से अन्यायपूर्ण होगा, या तो इसलिए कि पार्टी ने अपने आचरण से ऐसा किया है जो उचित हो सकता है।

इसे छूट के बराबर माना जाए, या जहां उसके आचरण और उपेक्षा के कारण, हालांकि शायद नहीं

उस उपाय को माफ करना, फिर भी दूसरे पक्ष को एक ऐसी स्थिति, जिसमें उसे रखना उचित नहीं होगा यदि बाद में उपचार का दावा किया जाना था, इनमें से किसी भी मामले में, समय का अंतराल और देरी सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। लेकिन हर मामले में, अगर राहत के खिलाफ एक तर्क, जो अन्यथा न्यायपूर्ण होगा, केवल इस पर आधारित है

विलम्ब, कि विलम्ब निश्चित रूप से सीमाओं के किसी भी क़ानून द्वारा एक बाधा के बराबर नहीं है, उस बचाव की वैधता सिद्धांतों पर काफी हद तक प्रयास किया जाना चाहिए

न्यायसंगत। भारत और अन्य देशों में दो परिस्थितियाँ हमेशा महत्वपूर्ण होती हैं।

एन मुरुगेसन ईटीसी। [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

मामले, हैं, देरी की लंबाई और प्रकृति

अंतराल के दौरान किए गए कार्य, जो दोनों में से किसी एक को प्रभावित कर सकते हैं

पार्टी और न्याय या अन्याय के संतुलन का कारण बनता है

जहाँ तक इसका संबंध है, एक या दूसरे पाठ्यक्रम को लेना इलाज "।

(जोर दिया गया)

28. इस न्यायालय ने अंग्रेजी के उपरोक्त सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया है।

कानून। तिलोकचंद मोतीचंद बनाम। एच. बी. मुंशी [(1969) 1 एस. सी. सी. 110: (1969) 2 एस. सी. आर. 824] और रवींद्रनाथ बोस बनाम। भारत संघ [(1970) 1 एस. सी. सी 84: (1970) 2 एस. सी. आर. 697] इस न्यायालय ने फैसला सुनाया कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन या उल्लंघन के मामलों में भी, एक रिट अदालत याचिकाकर्ता की ओर से अदालत का दरवाजा खटखटाने में देरी को ध्यान में रख सकती है। और यदि घोर या अस्पष्टीकृत देरी होती है, तो अदालत ऐसे याचिकाकर्ता के पक्ष में राहत देने से इनकार कर सकती है।

जे एंड के राज्य बनाम आर. के. जलपुरी, (2015) 15 एस. सी. सी. 602:

कॉर्प. वी. दोसू आर्देशिर भिवंडीवाला, (2009) 1 एस. सी. सी. 168], जिसमें इस न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र पर विचार करते हुए इस प्रकार व्यक्त किया है: (एस. सी. सी पी. 175 , पैरा 30)

" 30. न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए

अनुच्छेद 226 इस बात पर विचार करने के लिए कर्तव्य-बद्ध है कि क्याः

(क) रिट याचिका के निर्णय में कोई भी जटिल कार्य शामिल होता है।

और तथ्यों के विवादित प्रश्न और क्या वे कर सकते हैं

संतोषजनक रूप से हल किया जाए;

(ख) याचिका सभी भौतिक तथ्यों को प्रकट करती है; (ग) याचिकाकर्ता के पास कोई वैकल्पिक या प्रभावी उपाय है।

विवाद के समाधान के लिए;

(घ) अधिकारिता का आह्वान करने वाला व्यक्ति दोषी है

अस्पष्टीकृत देरी और लैच;

(च) राहत देना सार्वजनिक नीति के खिलाफ है या इसके द्वारा वर्जित है कोई वैध कानून; और कई अन्य कारक। "[2021] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

21. इस संबंध में कर्नाटक पावर कॉर्प के एक अंश का संदर्भ। लिमिटेड वी. के. थंगप्पन [कर्नाटक पावर कार्पोरेशन। लिमिटेड वी. के. थंगप्पन, (2006) 4 एससीसी 322: 2006 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 791] उपयुक्त होगाः (एस. सी. सी पी. 325, पैरा 6)

" 6. विलंब या विलंब उन कारकों में से एक है जिसे उच्च न्यायालय द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए जब वे अभ्यास करते हैं।

अनुच्छेद 226 के तहत उनकी विवेकाधीन शक्तियाँ

संविधान। एक उपयुक्त मामले में उच्च न्यायालय अपनी असाधारण शक्तियों का उपयोग करने से इनकार कर सकता है यदि

की ओर से ऐसी लापरवाही या चूक है

समय के अंतराल और अन्य परिस्थितियों के साथ अपने अधिकार का दावा करने के लिए आवेदक, कारण

विरोधी पक्ष के प्रति पूर्वाग्रह "।

एम. पी. v. राज्य में प्राधिकरण को संदर्भित करने के बाद न्यायालय को ऐसा कहने के बाद। नंदलाल जयस्वाल [एम. पी. बनाम राज्य। नंदलाल

जैसवाल, (1986) 4 एस. सी. सी. 566] ने पहले की घोषणाओं में व्यक्त किए गए सिद्धांत को दोहराया, जो निम्नलिखित प्रभाव के लिए है: (एस. सी. सी पी. 326, पैरा 9)

" 9. ..... उच्च न्यायालय अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए आम तौर पर सुस्त और सुस्त या सुस्त लोगों की सहायता नहीं करता है।

सहमत और सुस्त। यदि याचिकाकर्ता की ओर से अत्यधिक देरी होती है और ऐसी देरी नहीं होती है

संतोषजनक रूप से समझाया गया, उच्च न्यायालय इनकार कर सकता है

हस्तक्षेप करें और अपने रिट के प्रयोग में राहत प्रदान करें

अधिकार क्षेत्र। यह कहा गया था कि यह नियम कई कारकों पर आधारित है। उच्च न्यायालय आम तौर पर असाधारण उपचार के लिए विलंबित सहारा की अनुमति नहीं देता है।

क्योंकि इससे भ्रम और जनता के परेशान होने की संभावना है। असुविधा और नई अन्याय लाना, और यदि अनुचित देरी के बाद रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया जाता है, तो इसका प्रभाव न केवल कठिनाई और असुविधा बल्कि तीसरे पक्ष पर अन्याय भी हो सकता है।

यह इंगित किया गया कि जब रिट अधिकार क्षेत्र का उपयोग किया जाता है, तो इस बीच तीसरे पक्ष के अधिकारों के निर्माण के साथ अस्पष्टीकृत देरी एक महत्वपूर्ण कारक है जो यह तय करने में उच्च न्यायालय के साथ भी वजन करता है कि क्या या नहीं।

इस तरह के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं करना। " भारत का आयन और अन्य बनाम।

एन मुरुगेसन ईटीसी। [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

22. महाराष्ट्र राज्य में v. दिगंबर [महाराष्ट्र राज्य बनाम। दिगंबर, (1995) 4 एस. सी. सी. 683] एक तीन न्यायाधीशों की पीठ ने निर्धारित किया कि: (एस. सी. सी पी. 692, पैरा 19)

" 19. संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत प्रयोग की जाने वाली उच्च न्यायालय की शक्ति, यदि विवेकाधीन है, तो इसका प्रयोग विवेकपूर्ण और उचित होना चाहिए। कोई विवाद नहीं। यही कारण है कि एक व्यक्ति

अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय से राहत की पात्रता

226 संविधान का, चाहे वह राज्य के खिलाफ हो या

कोई और, भले ही आरोप पर आधारित हो

उसके कानूनी अधिकार का उल्लंघन, अनिवार्य रूप से करना होगा

व्यक्ति के निंदनीय आचरण पर निर्भर करता है

राहत की मांग करते हुए, और अदालत ने देने से इनकार कर दिया

इस तरह के अभ्यास में ऐसे व्यक्ति को विवेकाधीन राहत

शक्ति, जब वह अशुद्ध हाथों से उसके पास आता है या

निंदनीय आचरण।

23. हाल ही में चेन्नई महानगर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड बनाम। टी. टी. मुरली बाबू [चेन्नई] महानगर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड v. टी. टी. मुरली बाबू, (2014) 4 एससीसी 108: (2014) 1 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 38], यह इस प्रकार शासित किया गया है: (एस. सी. सी पी. 117, पैरा 16)

" 16. इस प्रकार, विलंब और विलंब के सिद्धांत को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। एक रिट अदालत को विचार करने की आवश्यकता होती है

प्रस्तुत स्पष्टीकरण और स्वीकार्यता

एक ही। अदालत को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह अभ्यास कर रही है

एक असाधारण और न्यायसंगत अधिकार क्षेत्र। ए के रूप में संवैधानिक न्यायालय का कर्तव्य है कि वह अधिकारों की रक्षा करे

नागरिकों को लेकिन साथ ही यह खुद को इस प्राथमिक सिद्धांत के प्रति जीवित रखना है कि जब कोई पीड़ित व्यक्ति,

पर्याप्त कारण के बिना, अपने आराम या खुशी से अदालत का दरवाजा खटखटाता है, अदालत इस बात की जांच करने के लिए कानूनी दायित्व के तहत होगी कि विलंबित स्तर पर एल. आई. एस. पर विचार किया जाना चाहिए या नहीं। ध्यान रहे कि देरी होती है।

समता के मार्ग में। कुछ परिस्थितियों में देरी और

घाव घातक नहीं हो सकते हैं लेकिन ज्यादातर परिस्थितियों में

अत्यधिक देरी केवल आपदा को आमंत्रित करेगी

वादी जो अदालत के दरवाजे पर दस्तक देता है। देरी

यह एक वादी की ओर से निष्क्रियता और निष्क्रियता को दर्शाता है जो बुनियादी मानदंडों, [2021] 10 एस. सी. आर. को भूल गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

' विलंब समय का सबसे बड़ा चोर है और दूसरा, कानून किसी को फीनिक्स की तरह सोने और उठने की अनुमति नहीं देता है। देरी से खतरा पैदा होता है और नुकसान होता है।

लीज़ "।

24. इस मोड़ पर, हम यह कहने के लिए बाध्य हैं कि सभी प्रकार के मामलों में देरी और विलंब का सवाल रिट अदालत की विवेकाधिकार का प्रयोग करने की शक्ति को बाधित या कम नहीं करेगा। तुकाराम काना जोशी बनाम। महाराष्ट्र औद्योगिक

विकास निगम। [तुकाराम काना जोशी बनाम। महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम। , (2013) 1 एससीसी 353: (2013) 1 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 491] यह निर्णय दिया गया है कि: (एससीसी पीपी। 359-60 , पैरा 12)

“ 12. ..... देरी और लैच को एक तरीके के रूप में अपनाया जाता है

अधिकारिता के प्रयोग को अस्वीकार करने का विवेकाधिकार राहत मिलती है। एक दूसरा पहलू भी है। न्यायालय की आवश्यकता है कि

न्यायिक विवेक का प्रयोग करें। उक्त विवेकाधिकार है यह मामलों के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

विवेकाधिकार के प्रयोग को अस्वीकार करने के पहलुओं में से एक विलंब और विलंब है। यह कोई पूर्ण बाधा नहीं है। कम करने वाले कारक, कार्रवाई के कारण की निरंतरता आदि हो सकते हैं। इसके अलावा, अगर पूरी बात न्यायपालिका को झकझोर देती है

विवेक, तब न्यायालय को विवेक का अधिक प्रयोग करना चाहिए, जब कोई तीसरे पक्ष का हित शामिल न हो। इस प्रकार

विश्लेषण किया गया है कि याचिका विलंब और विलंब के सिद्धांत से प्रभावित नहीं है क्योंकि यह एक संवैधानिक सीमा नहीं है।

कार्रवाई का कारण निरंतर और आगे है स्थिति निश्चित रूप से न्यायिक विवेक को झकझोर देती है।

और फिर से: (एस. सी. सी पी. 360, पैरा 14)

" 14. उच्च न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से कब इनकार करना चाहिए, इस बारे में कोई कठोर और त्वरित नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

एक पार्टी के पक्ष में जो इसे काफी समय के बाद आगे बढ़ाता है देरी करता है और अन्यथा लातों का दोषी होता है। विवेक होना चाहिए।

विवेकपूर्ण और उचित रूप से प्रयोग किया जाए। घटना में

कि आवेदक द्वारा किया गया दावा कानूनी है टिकाऊ, देरी को माफ किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, जहां आचरण को उचित ठहराने वाली परिस्थितियाँ मौजूद हैं,

अवैधता जो प्रकट है, उस पर कायम नहीं रखी जा सकती है

लच्छों की एकमात्र जमीन।

जब पर्याप्त न्याय और भारत और अन्य का संघ v. एन मुरुगेसन ईटीसी। [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

तकनीकी विचार एक-दूसरे के खिलाफ खड़े किए जाते हैं, पर्याप्त न्याय के कारण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि दूसरा पक्ष जानबूझकर नहीं किए गए अन्याय में निहित अधिकार होने का दावा नहीं कर सकता है।

विलम्ब। अदालत को निर्दोष पक्षों को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए यदि उनके अधिकार वास्तव में याचिकाकर्ताओं की ओर से देरी से सामने आए हैं। (वीडियो दुर्गा प्रसाद बनाम। के नियंत्रक

आयात और निर्यात [दुर्गा प्रसाद बनाम। आयात और निर्यात नियंत्रक, (1969) 1 एस. सी. सी. 185], कलेक्टर (एल. ए.) v. कटिजी [कलेक्टर (एल. ए.) बनाम। कटिजी, (1987) 2 एस. सी. सी. 107: 1989 एस. सी. सी. (कर) 172], डेहरी रोहतास लाइट रेलवे

सिंह बनाम। भारत संघ, (2003) 2 एस. सी. सी. 593] और शंकर कूप। हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड बनाम। एम.

प्रभाकर [शंकर कूप। हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड बनाम। एम. प्रभाकर, (2011) 5 एससीसी 607: (2011) 3 एससीसी (सी. आई. वी.)

56] .) "

29. उपरोक्त सिद्धांत को भी अपनाया जाना आवश्यक है, जबकि

अनुमोदन और प्रत्याख्यान से जुड़े मामले पर विचार करना।

न्याय का दस्तावेज़:

30. निष्पक्षता का सिद्धांत प्रत्येक नियोक्ता में अंतर्निहित है और

कर्मचारी संबंध। उक्त सिद्धांत को इसके बाद लागू करना होगा

संबंध भर्ती के स्तर के बजाय अस्तित्व में आते हैं। भर्ती से निपटने के दौरान, उपयुक्तता और पर्याप्तता के सवाल पर, नियोक्ता को उचित रूप से पर्याप्त विवेक प्रदान किया जाता है। उस स्तर पर, सवाल एक विशेष प्रकार के काम को पूरा करने के लिए नियोक्ता की आवश्यकता के संबंध में है। एक नियोक्ता और कर्मचारी संबंध में, निष्पक्षता के सिद्धांत को अधिक जोश के साथ लागू किया जाना चाहिए जब इसमें राज्य का एक साधन शामिल हो। इसलिए, किसी राज्य से कर्मचारी के हित के प्रतिकूल कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जाती है, और कोई भी भेदभाव वैध होना चाहिए। अंततः, किसी को भारी सार्वजनिक हित को देखना होगा क्योंकि राज्य की साधनता की प्रत्येक कार्रवाई को ऐसा माना जाता है। उक्त सिद्धांत को लागू करते समय, इस तथ्य के प्रति सचेत रहना होगा कि कानून के विरुद्ध किसी कर्मचारी की ओर से वैध अपेक्षा नहीं हो सकती है। हम उपरोक्त सिद्धांत पर इस न्यायालय के निम्नलिखित निर्णय का उल्लेख करना चाहेंगे।

[2021] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट सहायक आबकारी आयुक्त और अन्य बनाम। इसाक पीटर और अन्य, इसाक पीटर; सहायक आबकारी आयुक्त, (1994) 4 एस. सी. सी. 104:

निहितार्थ? उद्देश्य, जैसा कि हम देख सकते हैं, यह है कि हालांकि अनुबंध कहता है कि अतिरिक्त कोटा की आपूर्ति विवेकाधीन है, इसे अनिवार्य के रूप में पढ़ा जाना चाहिए-कम से कम पिछले वर्ष की आपूर्ति की सीमा तक-उक्त सिद्धांत को लागू करके। इसे प्रस्तुत किया जाता है। कि यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो लाइसेंसधारियों को आर्थिक रूप से नुकसान होगा। दूसरा उद्देश्य यह कहना है कि यदि राज्य आपूर्ति करने में सक्षम नहीं है, तो अनुबंध के तहत अपनी ओर से पूरी राशि की मांग करना अनुचित होगा। संक्षेप में, निष्पक्ष रूप से कार्य करने के कर्तव्य को अनुबंध में अपनी शर्तों को संशोधित करने और बदलने और राज्य पर एक दायित्व पैदा करने के लिए आयातित करने की मांग की जाती है जो अनुबंध में नहीं है। हमें स्वीकार करना चाहिए, हम निष्पक्षता या तर्कसंगतता के ऐसे किसी भी सिद्धांत से अवगत नहीं हैं। न ही विद्वान वकील इस तरह के प्रस्ताव को निर्धारित करने वाले किसी भी निर्णय को हमारे ध्यान में ला सके। निष्पक्षता का सिद्धांत या निष्पक्ष और यथोचित रूप से कार्य करने का कर्तव्य प्रशासनिक में विकसित एक सिद्धांत है।

कानून का क्षेत्र कानून का शासन सुनिश्चित करने और न्याय की विफलता को रोकने के लिए जहां कार्रवाई प्रशासनिक प्रकृति की हो। जिस तरह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत निष्पक्ष निर्णय सुनिश्चित करते हैं,

कार्य अर्ध-न्यायिक है, निष्पक्षता का सिद्धांत निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए विकसित किया गया है जहां कार्य प्रशासनिक है। लेकिन यह निश्चित रूप से पार्टियों के बीच अनुबंध की स्पष्ट शर्तों को संशोधित करने, बदलने या बदलने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है। यह ऐसा है, भले ही अनुबंध वैधानिक प्रावधानों द्वारा शासित हो, यानी, जहां यह एक वैधानिक अनुबंध है या उससे अधिक है। यह हर अनुबंध के लिए एक बात है-इसका अर्थ लगाया जाना चाहिए।

कहते हैं कि एक अनुबंध जो उचित रूप से अपनी भाषा को ध्यान में रखते हुए किया गया है। लेकिन लाइसेंसधारक ऐसा नहीं कहते हैं। वे अनुबंध के लिए दूसरे पक्ष पर एक दायित्व पैदा करना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए कि यह राज्य होता है। वे एन. आई. ओ. एन. ओ. आई. ए. एन. आई. ए. एन. आई. ए. एन

कुछ मामलों में वैधानिक) और अनुबंधों से संबंधित कानून। यह.

यह याद रखना चाहिए कि ये अनुबंध सार्वजनिक नीलामी, निविदाओं के प्रवाह या बातचीत के अनुसार किए जाते हैं।

इन अनुबंधों में प्रवेश करने के लिए किसी पर कोई बाध्यता नहीं है। यह दोनों तरफ से स्वैच्छिक है। इस तरह के अनुबंधों में राज्य शक्ति के शामिल होने का कोई सवाल ही नहीं हो सकता। यह कहना दोहराया जाता है कि राज्य ऐसे अनुबंधों में लाइसेंसधारियों को लाभ की गारंटी नहीं देता है। "

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कार्य नियम:

31. हम पहले ही इस पद के लिए योग्यता पर चर्चा कर चुके हैं

निदेशक-जनरल। महानिदेशक के पद पर भर्ती कार्य नियमों के तहत या तो सीधे या प्रतिनियुक्ति पर की जानी है। यह अखिल भारतीय आधार पर एक विधिवत गठित खोज-सह-चयन समिति के माध्यम से है। एकमात्र अपवाद संविदात्मक नियुक्ति है जो बहुत ही संक्षिप्त और अस्थायी अवधि के लिए है, जिसे राष्ट्रपति, सीपीआरआई द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन से नियुक्त किया जा सकता है।

32. नियम अपने आप में कार्यकाल नियुक्ति को प्रतिबंधित नहीं करते हैं। प्रत्यक्ष भर्ती की परिभाषा का अर्थ होगा एक प्रक्रिया के माध्यम से भर्ती।

नियमों के तहत निर्धारित। इसलिए, कल्पना के किसी भी विस्तार से, कोई भी व्याख्या नहीं कर सकता है कि सभी सीधी भर्तियां नियमित रोजगार द्वारा की जानी हैं। इसलिए, कार्यकाल के आधार पर पद भरने के लिए सीधी भर्ती भी की जा सकती है। इसलिए, नियमों के तहत किसी भी वैधानिक प्रतिबंध के अभाव में, उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए सीधी भर्ती के माध्यम से की गई कार्यकाल नियुक्ति को कानून के विपरीत नहीं कहा जा सकता है। प्रत्यक्ष भर्ती में नियमित या कार्यकाल के आधार पर नियुक्ति नियोक्ता का विवेक है, विशेष रूप से जब नियम निषेध नहीं करते हैं। नियम 48 एक नियमित कर्मचारी के लिए सेवानिवृत्ति की आयु की बात करता है, जो साठ वर्ष की आयु पूरी होगी। उक्त नियम की सराहना करने में कोई कठिनाई नहीं है, जो केवल एक नियमित कर्मचारी से संबंधित है और इसलिए कार्यकाल के आधार पर की गई नियुक्ति से निपटने के लिए कोई आवेदन नहीं हो सकता है। आखिरकार, एक अदालत किसी कर्मचारी को उस स्थिति से अलग दर्जा नहीं दे सकती है जिसे प्रदान किया गया था और स्वीकार किया गया था, विशेष रूप से जब वह नियमों के तहत निषिद्ध नहीं है।

दलों की प्रस्तुतियाँ:

अपीलार्थियों की प्रस्तुतियाँ:

33. अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी द्वारा मांगी गई राहत नहीं हो सकती है विलंब, विलंब और स्वीकृति के आधार पर प्रदान किया गया। इसी तरह, अनुमोदन और प्रत्याख्यान को नियंत्रित करने वाला सिद्धांत भी राहत को अक्षम कर देगा, विशेष रूप से जब संविधान के अनुच्छेद 226 को लागू किया जाता है। नियम कार्यकाल आधारित नियुक्ति को प्रतिबंधित नहीं करते हैं। प्रत्यर्थी ने अवधि के अंत में अपने कार्यकाल का आनंद लेने के बाद ही अनुरोध किया। इसे केवल सेवानिवृत्ति की तारीख तक जारी रखने के लिए भी बनाया गया था। अपीलार्थियों द्वारा पारित विवादित आदेश केवल एक राहत देने वाला आदेश है। भारत और अन्य संघ के पहले वर्ष या उसके बाद के नियमों के तहत प्रदर्शन मूल्यांकन v.

एन मुरुगेसन ईटीसी। [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

इसका पुनः नियुक्ति के लिए किए गए मूल्यांकन से कोई लेना-देना नहीं है। प्रारंभिक नियुक्ति स्वयं पुनर्नियुक्ति के माध्यम से थी। द.

इसके बाद, दोनों अवसरों पर एक सचेत निर्णय लिया गया। उपयुक्तता और पर्याप्तता केवल नियोक्ता का विवेक है। वहाँ कोई नहीं है विस्तार पर विचार नहीं करने में मनमानेपन शामिल है। डिवीजन बेंच ने सामग्री पर सही परिप्रेक्षय में विचार नहीं किया है।

34. प्रत्यर्थी द्वारा मांगी गई राहत पर, यह प्रस्तुत किया जाता है कि

यहां तक कि सेवानिवृत्ति की अवधि भी समाप्त हो गई है और निजी प्रतिवादी का चयन खोज-सह-चयन समिति की सिफारिश पर योग्यता के आधार पर किया गया है। इस संबंध में कोई विशिष्ट याचिका नहीं उठाई गई है

प्रतिनिधित्व के रूप में उनकी निरंतरता इस आधार पर की गई थी कि

शिकायतें

उत्तरदाता को एक नियमित कर्मचारी माना जाना चाहिए। इस प्रकार, प्रत्यर्थियों द्वारा दायर याचिकाओं को भी खारिज किया जाना चाहिए।

उत्तरदाताओं द्वारा प्रस्तुतियाँः

35. श्री प्रशांत भूषण ने अपनी अनूठी शैली में प्रस्तुत किया

कि खंड पीठ ने अपने निष्कर्षों को दर्ज करते समय फाइलों को देखा है जो किसी भी हस्तक्षेप की गारंटी नहीं देते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का स्पष्ट उल्लंघन है। पहले अवसर पर, यह अनुमान लगाने के लिए कुछ भी नहीं है कि प्रासंगिक सामग्री पर विचार किया गया है, और दूसरे पर, प्रतिकूल रिपोर्ट पर "एसीसी" को नोटिस पर नहीं रखा गया है। प्रतिकूल रिपोर्ट स्वयं प्रतिवादी से

कनिष्ठ व्यक्तियों द्वारा तैयार की गई है, और इसलिए, इसे त्याग दिया जाना चाहिए। विवादित समाप्ति आदेश पारित करने में कोई शक्ति या अधिकार नहीं है। चूँकि प्रत्यर्थी का मामला ही यह है कि उसे उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक जारी रखा जाना चाहिए, इसलिए अपीलार्थियों द्वारा पारित विवादित आदेश केवल राहत देने वाला आदेश नहीं है, बल्कि एक समाप्ति है। डिवीजन बेंच ने प्रतिवादी द्वारा मांगी गई अन्य राहत पर विचार नहीं किया है, और इसलिए प्रस्तुत किए गए निष्कर्षों के आलोक में, रिट याचिकाओं को पूरी तरह से अनुमति दी जा सकती है। कार्यकाल नियुक्ति के लिए कोई वैधानिक नियम नहीं हैं, और इसलिए प्रतिवादी को एक नियमित कर्मचारी के रूप में माना जाना चाहिए था।

[2021] 10

एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रत्यर्थी की वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट में उसे "उत्कृष्ट" पाया गया। अध्यक्ष, सी. पी. आर. आई.-जी. सी. के पास बर्खास्त करने की शक्ति नहीं है, क्योंकि "ए. सी. सी". नियुक्ति प्राधिकरण होने के कारण, अकेले ही अधिकार रखता है। 36. न्यायालय तक पहुँचने में कोई अत्यधिक विलम्ब नहीं है क्योंकि प्रत्यर्थी प्रामाणिक और वैध धारणा में था।

उम्मीद है कि चूंकि नियम कार्यकाल आधारित नियुक्ति की अनुमति नहीं देते हैं, इसलिए उन्हें सेवानिवृत्ति की तारीख तक बने रहना है। वास्तव में, प्रत्यर्थी ने अपने नियुक्ति पत्र की शर्तों में सुधार की मांग करते हुए अपीलकर्ताओं को कई अभ्यावेदन दिए। अभ्यावेदन के माध्यम से नियोक्ता से संपर्क करने में केवल देरी और उच्च न्यायालय नहीं करेगा

विशेष रूप से जब शर्तें नियमों के अनुरूप नहीं हैं, जैसा कि सोमेश थपलियाल बनाम एच. एन. बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय, 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 659 में इस न्यायालय के फैसले में माना गया है।

परिचर्चा:

37. हम पहले से ही कानून के उन सिद्धांतों पर विचार कर चुके हैं जिनका इस मामले पर प्रभाव पड़ सकता है। एक असमान सौदेबाजी शक्ति का कोई तत्व शामिल नहीं है। किसी ने भी प्रतिवादी को प्रवेश करने के लिए मजबूर नहीं किया है

अनुबंध। वे वास्तव में 23 वर्षों तक सोसायटी के कर्मचारी रहे। हम इस सवाल में नहीं जाना चाहते हैं कि क्या यह पुनः नियुक्ति का मामला है या नहीं, क्योंकि तथ्य यह है कि प्रतिवादी नौकरी चाहता था, यही कारण है कि उसके स्थायी/नियमित कर्मचारी होने के मुद्दे को उठाने के लिए एक अस्पष्ट और अध्ययन की गई अनिच्छा थी, लेकिन केवल

उनके कार्यकाल का अंत। 38. प्रतिनिधित्वों में से पहला 30.12.2014 पर किया गया था, उसके बाद अन्य। आचरण अपने लिए बोलता है। इसलिए, विलंब, विलंब और स्वीकृति को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत पर, अनुमोदन और खंडन के बाद, प्रतिवादी नं। 1 भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 को लागू करके कोई राहत नहीं दी जानी चाहिए थी। नियमों की व्याख्या पर, हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि कार्यकाल नियुक्ति के लिए कानून में कोई निषेध नहीं है। हम एक ऐसे पद से निपट रहे हैं जो प्रशासन के शीर्ष क्षेत्र में है। पद के साथ एक इच्छित उद्देश्य और तर्क संलग्न है। यह उस पद का अधिकारी होता है जिसे अनुसंधान के क्षेत्र में उद्देश्य और दृष्टि को आगे बढ़ाना होता है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, निश्चित रूप से इसमें भारी जनहित शामिल है। नियोक्ता के पास विवेक का भार उपलब्ध है। किसी भी मनमानेपन के अभाव में, कोई भी इसके विवेक पर सवाल नहीं उठा सकता है। आखिरकार, उच्चतम स्तर पर निर्णय लिया गया है। हम यह अनुमान नहीं लगा सकते कि सामग्री को भारत और अन्य का संघ नहीं रखा गया है।

एन मुरुगेसन ईटीसी। [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

निर्णय लेने से पहले। डिवीजन बेंच का यह मानना सही नहीं था कि कार्यकारी पक्ष के सर्वोच्च संवैधानिक प्राधिकरण को निचले अधिकारियों द्वारा गुमराह किया गया था। हमें इस तरह के अनुमान के लिए कोई जगह नहीं मिलती है। समाज के हित में कार्यकाल नियुक्ति के लिए एक सचेत निर्णय लिया गया है। इसी तरह, एक नए के लिए जाने का एक सचेत निर्णय भी लिया गया था

भर्ती। 39. प्रत्यर्थी के कार्यकाल के दौरान किए गए आकलन और उसके बाद जारी रखने के लिए किए गए आकलन के बीच एक स्पष्ट अंतर है।

कार्यकाल का समापन। कनिष्ठ या वरिष्ठ होने का कोई सवाल ही नहीं उठता क्योंकि किसी अलग विभाग द्वारा मूल्यांकन के लिए सामग्री रखी गई है। मूल्यांकन उच्चतम अधिकारियों द्वारा किया गया था, जैसा कि भारत सरकार के सचिव और कैबिनेट सचिव के अलावा संबंधित मंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया था। क्या था?

चुनौती केवल एक राहत देने वाला आदेश है, जिसे समाप्ति का चरित्र नहीं दिया जा सकता है। डिवीजन बेंच ने स्थायी पद पर नियुक्ति के लिए सीधी भर्ती का गलत अर्थ निकाला है। हम सीधे काम कर रहे हैं

प्राथमिक महत्व के पद पर भर्ती, यानी महानिदेशक, जिसे कार्यकाल के आधार पर भरा जाना है। हमारे द्वारा देखे गए और समझे गए नियम कार्यकाल नियुक्ति को प्रतिबंधित नहीं करते हैं। नियुक्ति के किसी भी निषेध और अनिवार्य तरीके के अभाव में, कार्यकाल नियुक्ति के लिए जाने में अपीलार्थी का निर्णय पूरी तरह से क्रम में है।

40. हम पाते हैं कि पुल के नीचे पहले ही बहुत पानी बह चुका है। निजी उत्तरदाता को निम्नलिखित के बाद 2016 में पहले ही नियुक्त किया जा चुका है -

उचित प्रक्रिया और आज तक जारी है। प्रतिवादी एक पूर्व है

41. श्री प्रशांत भूषण ने सोमेश थपलियाल बनाम एच. एन. बी. गढ़वाल मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा किया। विश्वविद्यालय, 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 659। हमारा विचार है कि यह एक मामला नहीं है। उक्त निर्णय में, एक नियमित रोजगार के लिए नियम लागू थे, और भरा गया पद एक निचली पंक्ति का पद था। इस प्रकार इस न्यायालय द्वारा सौदेबाजी की शक्ति की अवधारणा को सही ढंग से लागू किया गया था। शिकायत भी नियमों के अनुरूप थी, और संविदात्मक नियुक्ति के लिए कोई औचित्य नहीं था, जबकि वर्तमान मामले में, हम कार्यकाल आधारित नियुक्ति से निपट रहे हैं। इस प्रकार, तथ्य अलग होने के कारण, अनुपात का कोई अनुप्रयोग नहीं है।

42. नियुक्ति आदेश को पढ़ने पर, हम स्वचालित विस्तार के अस्तित्व की पहचान नहीं कर सके। आदेश में बहुत स्पष्ट कहा गया है

कि यह उपयुक्तता के अधीन है, और पुनः नियुक्ति के लिए ऐसी उपयुक्तता पर विचार किए जाने के बाद, इस न्यायालय से अपने विचार को प्रतिस्थापित करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। "ए. सी. सी". द्वारा रिपोर्ट पर विचार न करना भी घातक नहीं होगा, क्योंकि कैबिनेट सचिव ने स्वयं इसे मंजूरी दी है, और इसी तरह अन्य उच्च अधिकारियों ने भी। प्रत्यर्थी ने कोई महत्वपूर्ण पूर्वाग्रह नहीं दिखाया है। भले ही कोई यह मान ले कि इन सामग्रियों को "एसीसी" के समक्ष नहीं रखा गया है, हमारा मानना है कि दो कारणों से इस तरह के अनुमोदन की कोई आवश्यकता नहीं हो सकती है। सबसे पहले, पहले अपीलार्थी ने पाया कि

प्रत्यर्थी पुनः नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है, जिसे अन्य अधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसलिए नियोक्ता ने समाज के हित में एक सचेत निर्णय लिया है। दूसरा, यह विस्तार का मामला नहीं है जिसमें शायद "एसीसी" द्वारा पुष्टि की गई होगी।

43. की गई चर्चा के आलोक में, प्रतिवादी द्वारा दायर अपील खारिज किए जाने के योग्य हैं। एक बार जब हम यह मान लेते हैं कि प्रतिवादी किसी भी विस्तार का हकदार नहीं है, तो परिणामी लाभ नहीं हो सकते हैं दिया गया। इस प्रकार, तथ्यों के मूल्यांकन और कानून की अवधारणा दोनों पर, हम यह मानने के लिए विवश हैं कि प्रतिवादी किसी भी राहत का हकदार नहीं है।

44. तदनुसार, अपीलार्थियों द्वारा दायर अपीलों को चुनौती के तहत विवादित आदेश को दरकिनार करके अनुमति दी जाती है, और

परिणामस्वरूप, प्रतिवादी द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया जाता है। नहीं।

लागतें।

अपील का निपटारा किया गया।

दिव्या पांडे